राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

कमांक: एफ.4(3)(3)रोल्स/निर्वा/2013/2638 जयपुर, दिनांक 28-06-2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित:श्री सुमन कुमार दास,
अवर सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग,
नई दिल्ली।

विषय : मतदाता सूचियाँ – राजस्थान।

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग का पत्र कमांक 491/स्वीप/36/2013 (आरजे)/701 दिनांक 29 मई, 2013

P.S.o.सी

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग, के प्रासंगिक पत्र कमांक 701 दिनांक 29.5.2013 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि राज्य में मतदाता सूचियों के ऑकड़ों का विशलेषण करने के बाद यह प्रकट हुआ है कि राज्य में लिंगानुपात कम है तथा माह जनवरी–मार्च, 2013 में इस विषय में राज्य में प्रयास कर इसमें सुधार किया गया है। इस विषय में निर्देश दिये गये है कि स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष रूप से प्रचार–प्रसार किया जाए। तथा पार्टनशिप एजेन्सियों का चयन कर इनका सहयोग लिया जाए जिससे राज्य में लिंगानुपात जनसंख्या के लिंगानुपात के ऑकड़ों के समान लाया जा सके।

2. उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य में अर्हता दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया था तथा दिनांक 21 जनवरी, 2013 को मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन किया गया था। मतदाता सूचियों के अन्तिम प्रकाशन के समय राज्य में मतदाताओं का लिगांनुपात 874 था तथा जनसंख्या का लिंगानुपात 926 है।

3. राज्य में लिंगानुपात निर्धारित मापदण्ड के अनुसार लाने हेतु मतदाता सूचियों के अन्तिम प्रकाशन के तुरन्त बाद निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य सरकार के ऐसे विभाग यथा महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जिनके फील्ड स्तर पर महिला कर्मचारी कार्यरत है, के राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया गया तथा विचार–विमर्श के बाद निर्णय लिया जाकर माह फरवरी–मार्च में एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के प्रथम चरण में इन विभागों के फील्ड स्तरीय

दूसरी ओर इन महिलाओं से व्यक्तिगत सम्पर्क किया जाकर इनसे प्रारूप 6 में आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेगें। इस हेतु विभाग की योजना है कि प्रत्येक मतदान केन्द्र के बीएलओ/अधिकृत अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की जाए जिसमें फील्ड स्तर पर कार्य करने वाले विभाग यथा महिला बाल विकास विभाग की ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आशासहयोगिने एवं सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के प्रेरकों को सम्मिलित करते हुए एक टीम गठित की जायेगी जो पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान महिलाओं से व्यक्तिगत सम्पर्क कर प्रारूप 6 में आवेदन पत्र प्राप्त करेगी।

7. इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा नेहरू युवा केन्द्र, एनसीसी, भारत स्काउट एवं गाईड एवं एनएसएस के सहयोग से विशाल जागरूकता रैली का आयोजन करवाया जा रहा है जो इस विषय में जागरूकता का कार्य करेगें

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,
ह0

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.4(3)(1)रोल्स/निर्वा/2010/2638 जयपुर, दिनांक 28-06-2013

प्रतिलिपि :—

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
2. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. अति0 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।